

कार्यालय-अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
आदेशांक वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ /2018, लखनऊ, दिनांक :05 :अप्रैल- 2018,

--: आदेश:--

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली 2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह अप्रैल - 2018 का युगल पीठ गठन कार्यक्रम निम्नवत निर्गत किया जाता है :-

क्र0सं0 01	बैठने का स्थान 02	कार्य आवंटन 03	कार्य- अवधि 04	युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य 05
1-	पीठ-1 इलाहाबाद	पीठ-1. व 2 इलाहाबाद	09.04.18, 12.04.18 व 13.04.18	पीठ-1 इलाहाबाद (न्यायिक) व पीठ-2 इलाहाबाद (विभागीय)
2-	पीठ-बरेली	पीठ- बरेली	09.04.18 से 11.04.18	पीठ-बरेली(न्यायिक) व पीठ मुरादाबाद(विभागीय)
3-	पीठ-गोरखपुर	पीठ-गोरखपुर	12.4.18 व 13.04.18	पीठ-गोरखपुर(न्यायिक) व पीठ-फैजाबाद (वि0)
4-	पीठ-1 नोएडा	पीठ-1 व 2 नोएडा	09.04.18 से 13.04.18	पीठ-1 नोएडा (न्या0) व पीठ-2 नोएडा(वि0)

ह0-05.04.18

(राजेन्द्र कुमार-IV)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन:वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/593/2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 3-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

(Handwritten Signature)

प्रभारी निबन्धक,
वाणिज्यकर अधिकरण
उत्तर प्रदेश लखनऊ।